ई–मेल

संख्या–97 /आठ–8–2023–01विविध/2023

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष/नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र
उत्तर प्रदेश।
4. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 **लखनऊ : दिनॉक :23 जनवरी, 2023**

विषयः– प्रदेश में नगर के रिंग रोड/बाईपास का संरेखण निर्धारित होते ही दोनों ओर सुनियोजित विकास सुनिश्चित किये जाने तथा अनधिकृत निर्माण की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश के संबंध में।

महोदय,

प्रायः यह देखा गया है कि किसी नगर में रिंग रोड/बाईपास का संरेखण निश्चित होते ही बड़ी मात्रा में भूमि की खरीद–फरोख्त होने लगती है और भूमि के अकृषि घोषित किये जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। रिंग रोड/बाईपास के संचालन होने तक अधिकांश भूमि पर अनियोजित और अवैध निर्माण हो जाता है।

2– उक्त संबंध में प्रदेश में नये राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास एवं परिवहन सुविधा के विकास के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 27.10.2022 क्रम में नये रिंग रोड/बाईपास के दोनों ओर विकास एवं परिवहन की दृष्टि से आवश्यक नगरीय मूलभूत सुविधाओं (ट्रांसपोर्ट नगर/ट्रक टर्मिनल/बस डिपो) के विकास एवं विस्तार तथा दोनों ओर पड़ने वाली भूमि के समुचित नियोजन एवं वैल्यू कैप्चर फ़ाइनेंस के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरियन्टेड डेवलपमेन्ट नीति–2022 के अन्तर्गत यथोचित प्रस्ताव तैयार किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–2763/आठ–3–2022 दिनांक 01.11.2022 द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3– प्रश्नगत संदर्भ में सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के स्तर पर दिनांक 13.01.2023 को आहूत बैठक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ, लोक निर्माण विभाग तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ हुए विचार–विमर्श हुआ। विचारोपरान्त उक्त संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर त्वरित कार्यवाही हेतु मत स्थिर किया गया है :–

(1) नगर के रिंग रोड/बाईपास का संरेखण निश्चित होते ही एन.एच.ए.आई./लोक निर्माण विभाग/यूपीडा द्वारा संरेखण की प्रति, मानचित्र, के.एम.जी. फाइल, संरेखण के दोनों ओर 500–500 मीटर क्षेत्रफल की अद्यावधिक सैटेलाइट ईमेज संबंधित अभिकरण तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए शासन (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग) को भी सूचित किया जाय।

(2) शहर के प्रस्तावित रिंग रोड/बाईपास के संरेखण के दोनों ओर 500–500 मीटर के क्षेत्र में संबंधित अभिकरण द्वारा एन.एच.ए.आई./लोक निर्माण विभाग/यूपीडा से प्राप्त उक्त अभिलेखों के आधार पर स्वस्तर से स्थलीय निरीक्षण कराया जाय।

क्रमशः.....2

(3) शहर के प्रस्तावित रिंग रोड/बाईपास के संरेखण के दोनों ओर 500–500 मीटर के क्षेत्र में महायोजना प्रभावी होने की दशा में सुनियोजित विकास की उच्च संभाव्यता वृद्धि (High Potential Growth) के दृष्टिगत यथोचित भू–उपयोग (यथा–ट्रांसपोर्ट नगर/ट्रक टर्मिनल/बस डिपो/मिश्रित भू–उपयोग/आवासीय आदि) निर्धारित किये जाने/महायोजना में संशोधन की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाय।

(4) शहर के प्रस्तावित रिंग रोड/बाईपास के संरेखण के दोनों ओर 500–500 मीटर के क्षेत्र में महायोजना प्रभावी नहीं होने की दशा में महायोजना का ड्राफ्ट 45 दिन के भीतर तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(5) शहर के प्रस्तावित रिंग रोड/बाईपास के संरेखण के दोनों ओर 500–500 मीटर के क्षेत्र को यदि प्राधिकरण क्षेत्र/विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र के अन्तर्गत अधिसूचित कराये जाने की आवश्यकता हो तोऐसे क्षेत्र को अधिसूचित किये जाने हेतु औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए नियमानुसार प्रस्ताव 30 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(6) शहर के प्रस्तावित रिंग रोड/बाईपास के संरेखण के दोनों ओर 500–500 मीटर के क्षेत्र में सैटेलाइट ईमेज के आधार पर अनधिकृत निर्माण/अवैध निर्माण होने की दशा में उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाय और नियमित रूप से विशेष अभियान चलाकर अनधिकृत निर्माण को प्रभावी ढंग से रोका जाय।

(7) शहर के प्रस्तावित रिंग रोड/बाईपास के संरेखण के दोनों ओर 500–500 मीटर के क्षेत्र अनधिकृत/अवैध निर्माण की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही प्रस्तावित की जाय।

4– प्रश्नगत प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष/मण्डलायुक्त, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. क्षेत्रीय अधिकारी–उ0प्र0 (पश्चिम), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार।
9. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

ई–मेल

संख्या– 97 /आठ–8–2023–01विविध/2023

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष/नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र
उत्तर प्रदेश।
4. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 **लखनऊ : दिनॉक :23 जनवरी, 2023**

विषयः– प्रदेश में नगर के रिंग रोड/बाईपास का संरेखण निर्धारित होते ही दोनों ओर सुनियोजित विकास सुनिश्चित किये जाने तथा अनधिकृत निर्माण की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश के संबंध में।

महोदय,

प्रायः यह देखा गया है कि किसी नगर में रिंग रोड/बाईपास का संरेखण निश्चित होते ही बड़ी मात्रा में भूमि की खरीद–फरोख्त होने लगती है और भूमि के अकृषि घोषित किये जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। रिंग रोड/बाईपास के संचालन होने तक अधिकांश भूमि पर अनियोजित और अवैध निर्माण हो जाता है।

2– उक्त संबंध में प्रदेश में नये राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास एवं परिवहन सुविधा के विकास के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 27.10.2022 क्रम में नये रिंग रोड/बाईपास के दोनों ओर विकास एवं परिवहन की दृष्टि से आवश्यक नगरीय मूलभूत सुविधाओं (ट्रांसपोर्ट नगर/ट्रक टर्मिनल/बस डिपो) के विकास एवं विस्तार तथा दोनों ओर पड़ने वाली भूमि के समुचित नियोजन एवं वैल्यू कैप्चर फाइनेंस के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरियन्टेड डेवलपमेन्ट नीति–2022 के अन्तर्गत यथोचित प्रस्ताव तैयार किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–2763/आठ–3–2022 दिनांक 01.11.2022 द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3– प्रश्नगत संदर्भ में सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के स्तर पर दिनांक 13.01.2023 को आहूत बैठक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ, लोक निर्माण विभाग तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ हुए विचार–विमर्श हुआ। विचारोपरान्त उक्त संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर त्वरित कार्यवाही हेतु मत स्थिर किया गया है :–

(1) नगर के रिंग रोड/बाईपास का संरेखण निश्चित होते ही एन.एच.ए.आई./लोक निर्माण विभाग/यूपीडा द्वारा संरेखण की प्रति, मानचित्र, के.एम.जी. फाइल, संरेखण के दोनों ओर 500–500 मीटर क्षेत्रफल की अद्यावधिक सैटेलाइट ईमेज संबंधित अभिकरण तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए शासन (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग) को भी सूचित किया जाय।

(2) शहर के प्रस्तावित रिंग रोड/बाईपास के संरेखण के दोनों ओर 500–500 मीटर के क्षेत्र में संबंधित अभिकरण द्वारा एन.एच.ए.आई./लोक निर्माण विभाग/यूपीडा से प्राप्त उक्त अभिलेखों के आधार पर स्वस्तर से स्थलीय निरीक्षण कराया जाय।

क्रमशः.....2

(3) शहर के प्रस्तावित रिंग रोड/बाईपास के संरेखण के दोनों ओर 500–500 मीटर के क्षेत्र में महायोजना प्रभावी होने की दशा में सुनियोजित विकास की उच्च संभाव्यता वृद्धि (High Potential Growth) के दृष्टिगत यथोचित भू–उपयोग (यथा–ट्रांसपोर्ट नगर/ट्रक टर्मिनल/बस डिपो/मिश्रित भू–उपयोग/आवासीय आदि) निर्धारित किये जाने/महायोजना में संशोधन की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाय।

(4) शहर के प्रस्तावित रिंग रोड/बाईपास के संरेखण के दोनों ओर 500–500 मीटर के क्षेत्र में महायोजना प्रभावी नहीं होने की दशा में महायोजना का ड्राफ्ट 45 दिन के भीतर तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(5) शहर के प्रस्तावित रिंग रोड/बाईपास के संरेखण के दोनों ओर 500–500 मीटर के क्षेत्र को यदि प्राधिकरण क्षेत्र/विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र के अन्तर्गत अधिसूचित कराये जाने की आवश्यकता हो तोऐसे क्षेत्र को अधिसूचित किये जाने हेतु औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए नियमानुसार प्रस्ताव 30 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(6) शहर के प्रस्तावित रिंग रोड/बाईपास के संरेखण के दोनों ओर 500–500 मीटर के क्षेत्र में सैटेलाइट ईमेज के आधार पर अनधिकृत निर्माण/अवैध निर्माण होने की दशा में उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाय और नियमित रूप से विशेष अभियान चलाकर अनधिकृत निर्माण को प्रभावी ढंग से रोका जाय।

(7) शहर के प्रस्तावित रिंग रोड/बाईपास के संरेखण के दोनों ओर 500–500 मीटर के क्षेत्र अनधिकृत/अवैध निर्माण की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही प्रस्तावित की जाय।

4– प्रश्नगत प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष/मण्डलायुक्त, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. क्षेत्रीय अधिकारी–उ0प्र0 (पश्चिम), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार।
9. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।